

हिण्डौन सिटी के सरकारी अस्पताल की 108 एंबुलेंस पर दो राज्यों के नम्बर लिखे मिले

जिस 108 एंबुलेंस से मरीज को ले जाया जा रहा था, उसके अगले हिस्से पर उत्तर प्रदेश का नंबर, जबकि पीछे की ओर केरल का नंबर लिखा हुआ था और हालत भी खस्ता थी

हिण्डौन सिटी, (निस)। जिले के सबसे बड़े राजकीय जिला अस्पताल में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बहाल तस्वीर उस समय सामने आई, जब एक गंभीर हार्ट मरीज को जयपुर रेफर करने के दौरान 108 एंबुलेंस सेवा की लापरवाही उजागर हो गई। मरीज को समय पर और सुरक्षित उपचार उपलब्ध कराने के दावों के बीच खटारा एंबुलेंस में टूटा स्ट्रेचर, बंद एयर कंडीशनर, खराब ऑक्सीजन व्यवस्था और अन्य गंभीर खामियां सामने आने से मरीज की जान जोखिम में पड़ गई। वहीं 108 एंबुलेंस के आगे और पीछे अलग-अलग राज्यों के पंजीयन नंबर अंकित मिले। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया।



हिण्डौन सिटी के राजकीय जिला अस्पताल की 108 एंबुलेंस में कई खामियां मिलीं।

और इंतजार करना पड़ा। लगभग एक घंटे तक मरीज उपचार और परिवहन के बीच असहाय स्थिति में एंबुलेंस में ही तड़पता रहा। आखिरकार मरीज को जान बचाने के लिए परिजनों ने निजी एंबुलेंस की व्यवस्था की और उसे जयपुर के लिए रवाना किया।

मामले में एक और गंभीर तथ्य सामने आया है। जिस 108 एंबुलेंस से मरीज को ले जाया जा रहा था, उस पर आगे और पीछे अलग-अलग राज्यों के पंजीयन नंबर अंकित मिले। एंबुलेंस के अगले हिस्से पर उत्तर प्रदेश का नंबर जबकि पीछे की ओर केरल का नंबर लिखा हुआ था। इससे वाहन की वैधता और संचालन व्यवस्था

को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर लोगों ने सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि एंबुलेंसों के रखरखाव और मॉनिटरिंग पर लाज्यों रुपये खर्च होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में मरीजों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में गंभीर मरीजों की जान भगवान भरोसे चल रही है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सतीश मीणा ने कार्रवाई की है। सीएमएचओ ने 108

गंभीर हार्ट मरीज को जयपुर रेफर करने के दौरान एंबुलेंस में टूटा स्ट्रेचर, बंद एयर कंडीशनर, खराब ऑक्सीजन व्यवस्था और अन्य खामियां सामने आईं

आखिरकार मरीज की जान बचाने के लिए परिजनों ने निजी एंबुलेंस की व्यवस्था की और उसे जयपुर के लिए रवाना किया

सीएमएचओ ने डॉ. सतीश मीणा ने 108 एंबुलेंस सेवा संचालित करने वाली नोडल एजेंसी 'जीवीके ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज' को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

एंबुलेंस सेवा संचालित करने वाली नोडल एजेंसी 'जीवीके ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज' को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक सहित अन्य उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर एजेंसी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।

भीलवाड़ा में 600 किलोग्राम दूषित खाद्य पदार्थ नष्ट करवाया

भीलवाड़ा, (निस)। 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान' के तहत बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भीलवाड़ा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मैसर्स हितकर न्यूट्री फूड्स, चमनपुरा बनेड़ा रोड स्थित प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजोव कुमार शर्मा ने

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 1250 किलो चटगोला व आंवला कैन्डी सीला की



खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भीलवाड़ा में कार्रवाई की।

बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में लगभग 1250 किलोग्राम चटगोला एवं आंवला कैन्डी का निर्माण कार्य जारी पाया गया। खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर जांच करते हुए उक्त खाद्य सामग्री को सीज कर दिया। साथ ही परिसर में रखे 6 ड्रमों में लगभग 600 किलोग्राम दूषित खाद्य पदार्थ पाए जाने पर उन्हें जनहित में तत्काल नष्ट करवाया गया। कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिए गए तथा उन्हें सीलबंद कर जांच हेतु अजमेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में साफ-सफाई एवं

स्वच्छता व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई। इस संबंध में संबंधित खाद्य व्यवसायी को नोटिस जारी किया जाएगा। टीम ने खाद्य पदार्थों के भंडारण, निर्माण एवं विक्रय संबंधी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया तथा संचालकों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने, स्वच्छता बनाए रखने एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री के निर्माण एवं विक्रय के निर्देश दिए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक यादव ने बताया कि विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं मिलावटखोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण

एवं सैफिलिंग की कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण दल में प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. गोवर्धन लाल कुम्हार, राजवीर सिंह, पवन कुमार एवं फेहद खान शामिल रहे। सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने बताया कि जिले में मिलावटखोरी एवं अस्वच्छ खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। उन्होंने आमजन से खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग तथा निर्माण एवं स्मार्फिनिंग तिथि की जांच करने की अपील की।

थाने में शिकायत के बाद भी महिला के साथ बदमाशों ने मारपीट की

अलवर, (निस)। अलवर के अकबरपुर थाने में शिकायत के बाद महिला के साथ फिर से बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद गांव के लोगों ने गुरुवार दोपहर थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला ने



ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया

पहले भी महिला ने मारपीट की शिकायत की थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की

अरोप लगाया कि पहली बार मारपीट करने पर पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बदमाशों ने दोबारा मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों के साथ अकबरपुर थाना प्रभारी को लिखित में शिकायत देकर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को उचित कानूनी कार्रवाई और नामजद आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने करीब एक बजे विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

सरपंच प्रतिनिधि पंडित पटेल ने बताया कि पीड़िता इंदिरा देवी (50) पति रामपाल निवासी उमैरग गांव 9 जून

को अपने खेत पर चारा लेने गई थीं। वहां उसने देखा कि कुछ लोग मोटर का बिजली का तार काट रहे थे। इस दौरान उसने चोरी का विरोध किया और चिल्लाने लगी तो बदमाशों ने गुस्से में आकर उसके साथ गाली-गलौज की। बदमाशों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद महिला अपने घर पहुंची, जहां परिजनों को पूरा घटनाक्रम बताया, इसके बाद महिला ने उसी दिन नौ जून को परिजनों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दी। पटेल ने बताया कि फिर दूसरे दिन 10 जून को जब महिला अपने खेत पर गई

तो बदमाशों ने दोबारा महिला के साथ जमकर मारपीट कर दी। हमले में महिला को गंभीर चोटें आईं। आरोपी मारपीट के बाद महिला को मरणासन्न हालात में खेत में छोड़कर मौके से भाग गए। परिजनों को पता चला तो आनन-फानन में उन्होंने महिला को अकबरपुर अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि हमलावरों से से कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है, जो पास के ही माचड़ी गांव के रहने वाले हैं। परिजनों ने दोबारा 10 जून को थाने में इब्बा, इंसाफ, कालू, सुभान सहित अन्य लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है।

अलवर के पेंशनर भवन में कथित अनैतिक गतिविधियों के संचालन का आरोप

अलवर, (निस)। अलवर के पेंशनर भवन में कथित अनैतिक गतिविधियों के संचालन को लेकर बुधवार देर रात विवाद हो गया। मामले को भनक लगते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहित कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता रात करीब बसे मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी गाई के खिलाफ हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने तुरंत पेंशनर भवन के गाई को गिरफ्तार कर लिया, जो पेंशनर भवन में अनैतिक काम कराता था। पेंशनर भवन कोतवाली थाना क्षेत्र के स्क्रीम नंबर-10 स्थित है।

जानकारी के अनुसार, स्क्रीम नंबर-10 स्थित पेंशनर भवन में लंबे समय से अवैध और अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं। आरोप है कि यहां तैनात गाई रामचंद्र मोटी रकम

आरोप है कि कैसे लेकर पेंशनर भवन में कमरे उपलब्ध कराता था गाई

विहिप, बजरंग दल सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, आरोपी गिरफ्तार

लेकर लोगों को भवन के कमरे उपलब्ध कराता था। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मौके पर एक महिला भी खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं, धिरे जाने पर चपरासी रामचंद्र खुद कथित रूप से कमरे उपलब्ध कराने और अवैध गतिविधियां संचालित कराने की बात स्वीकार करता

नजर आ रहा है। मामले को लेकर पेंशनर भवन संस्था के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बुधवार देर रात मिली। संस्था को भनक तक नहीं थी कि उनका गाई पीठ पीछे इस तरह के काले कारनामों में लिप्त है। शर्मा ने कहा कि पेंशनर भवन वरिष्ठ नागरिकों की एक प्रतिष्ठित संस्था है और यहां ऐसी हरकत होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया कि संस्था जल्द ही एक आपात बैठक बुलाकर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करेगी।

कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि मौके पर हंगामे की सूचना के बाद पुलिस टीम तुरंत स्क्रीम नंबर-10 पहुंची थी, जहां पुलिस ने स्थिति की संभालते हुए आरोपी गाई रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बीकानेर की नहर में डूबे दूसरे युवक का शव मिला

बीकानेर, (निस)। महाजन क्षेत्र में कंवरसेन वितरिका नहर में डूबे दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक युवक का शव मिलने के बाद एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम दूसरे युवक की तलाश में जुटी रही। देर शाम दूसरे युवक का शव महाजन से निकल रही इंदिरा गांधी नहर में मिलने से सच ऑपरेशन समाप्त हो गया। जानकारी के अनुसार, महाजन निवासी दिनेश मेघवाल पुत्र सुरजाराम मेघवाल और जगदीश मेघवाल मंगलवार दोपहर कंवरसेन वितरिका नहर में नहाने के लिए उतरे थे। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। मंगलवार देर शाम तक चले तलाशी अभियान में सफलता नहीं मिलने पर फिर से सच ऑपरेशन शुरू

किया गया। अभियान के दौरान सबसे पहले दिनेश मेघवाल का शव नहर से बरामद किया गया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने नहर के विभिन्न हिस्सों में लगातार तलाश जारी रखी। देर शाम दूसरे युवक जगदीश मेघवाल का शव महाजन से निकल रही इंदिरा गांधी नहर में बरामद कर लिया गया। दोनों शव मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना के दौरान उपतहसीलदार सुंदरपाल गोदार, महाजन पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासन की निगरानी में पूरे दिन राहत एवं बचाव कार्य चलता रहा। दोनों शवों के बरामद होने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। एक साथ दो युवकों की नहर में डूबने से महाजन क्षेत्र में शोक का माहौल है। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे रहे।

अस्पताल की सर्विस लाइन में आग लगी

गंगापुर सिटी, (निस)। जिला अस्पताल परिसर में गुरुवार दोपहर मुख्य सर्विस लाइन में आग लग गई। यह आग पालना गृह के पास स्थित सर्विस लाइन में लगी थी। प्रारंभिक जांच में इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों ने तुरंत अस्पताल में मौजूद फायर सेफ्टी टैंक से आग पर काबू पाने के प्रयास किए।

पीएमओ ने एहतियात के तौर पर अस्पताल की विद्युत आपूर्ति तत्काल

बंद करवा दी। इससे किसी बड़े हादसे की आशंका टल गई। कर्मचारियों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया। गंभीरत रहो कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और न ही किसी मरीज को नुकसान पहुंचा। आग लगने के बाद कुछ समय के लिए अस्पताल में भय का माहौल बन गया। बिजली आपूर्ति बंद होने से अस्पताल की नियमित व्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं।

डूंगरपुर के साबली गांव में जमीन विवाद को लेकर पिता ने बेटे पर हमला किया

डूंगरपुर, (निस)। जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के साबली गांव में जमीन विवाद को लेकर एक पिता ने अपने बेटे और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। इस हमले में बेटा और उसका एक दोस्त घायल हो गए जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

बिछीवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार साबली निवासी विपिन वरहात ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विपिन अपने दोस्त

हमले में बेटा और एक दोस्त घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी

लोकेश और रौनक के साथ घर का सामान लेने गए थे। रास्ते में पेट्रोल खत्म होने के कारण वे गाड़ी खड़ी कर पैदल तेल लेने जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी सुरेश मनात अपनी अर्टीका कार से वहां

पहुंचा। कार में विपिन के पिता और साबली पंचायत के प्रशासक लीलाराम वरहात, पूनम मनात और प्रियंका मनात भी सवारी थी। आरोपियों ने अपनी गाड़ी विपिन की गाड़ी के आगे अड़ा दी और विपिन को पकड़ लिया। सुरेश मनात ने विपिन पर तलवार से हमला किया। जब विपिन के दोस्त लोकेश ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया। इस हमले में विपिन और लोकेश घायल हो

गए। घायल विपिन और लोकेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। विपिन वरहात ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी लीलाराम वरहात उनके घरोपिता हैं और वह उनकी पहली पत्नी का बेटा है। विपिन के अनुसार जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके कारण यह हमला सुनिश्चित तरीके से किया गया। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कार की टक्कर से मजदूर की मौत

टोंक, (निस)। दूनी स्थित नेशनल हाईवे 52 पर जूनिआ मोड़ के पास बुधवार को एक सड़क हादसे में मजदूर की मौत हो गई। हादसे के के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक लक्ष्मीनारायण जूनिआ मोड़ के पास काम कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर घाड़ थाना

प्रभारी हरिराम वर्मा पुलिस जाबने के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद हाईवे निर्माण कंपनी के अधिकारियों और मृतक के परिजनों के बीच वार्ता हुई तथा परिजनों के प्रदर्शन के बाद आर्थिक सहायता देने पर सहमति बनने के बाद परिजनों ने शव उठाया। शव को दूनी सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चौमूं : जमवाय माता मंदिर में हुई चोरी का खुलासा, बावरिया गैंग के तीन आरोपी गिरफ्तार

चौमूं/कालाडेर, (निस)। चौमूं उपखण्ड के गांव सिंगंद कलां स्थित जमवाय माता मंदिर में पांच जून की रात हुई चोरी की वारदात का गोविन्दगढ़ थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए बावरिया गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मंदिर के दानपात्र से चोरी की गई नकदी और एक मजदूर का मोबाइल फोन बरामद किया है।

मामले के खुलासे के बाद ग्रामीणों और मंदिर ट्रस्ट की ओर से चलाया जा रहा धरना-प्रदर्शन भी समाप्त कर दिया गया। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साधनों का विश्लेषण किया, जिसके आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में सुभाष बावरिया उर्फ राजेन्द्र उर्फ कच्छ्या निवासी गणेश्वर साकेर, बीरबल बावरिया निवासी सीखरोली, जडपुर तथा धुडाराम उर्फ हाडा बावरिया निवासी टोडा दरिबा, सीकर शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम



पुलिस ने मौके पर आरोपियों से सीन रिक्रिएशन कराकर साक्ष्य जुटाए और वारदात की तस्वीर की।

देना स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने गैंग, श्रीमाधोपुर और चौमूं क्षेत्र में हुई अलग-अलग चोरी घटनाओं में भी संलिप्तता कबूल की है।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दिन के समय संधिवात स्थानों

की रेकी करते थे और रात में सुनसान माहौल का फायदा उठाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। घटनावाली रात आरोपियों ने मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़कर नकदी चुरा ली थी। इसी दौरान एक मजदूर का मोबाइल फोन भी

चोरी कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। थानाधिकारी विनोद सांखला और खेरोली चौकी प्रभारी धर्मपाल यादव पुलिस टीम के साथ आरोपियों को जमवाय माता मंदिर लेकर पहुंचे। यहां आरोपियों ने

मामले के खुलासे के बाद ग्रामीणों और मंदिर ट्रस्ट की ओर से चलाया जा रहा धरना-प्रदर्शन भी समाप्त हुआ

मंदिर में प्रवेश करने, दानपात्र का ताला तोड़ने और नकदी चोरी करने की पूरी घटना दोहराई।

पुलिस ने मौके पर सीन रिक्रिएशन कराकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और वारदात की तस्वीर की। थानाधिकारी विनोद सांखला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है और क्षेत्र में हुई अन्य चोरी की वारदातों में उनकी संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। पुलिस को पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगामी दिनों में अन्य मामलों का भी खुलासा होने की संभावना है।

जोधपुर, (निस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्थायी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक मामले में दिए गए स्थगनों की संख्या अलग से दर्ज की जाएगी और इसे कॉज लिस्ट में भी प्रदर्शित किया जाएगा।

आदेश में बताया गया है कि यह व्यवस्था 14 मई 2026 को ओमप्रकाश बनाम राज्य सरकार में लागू की जा रही है। इसके तहत अपीलकर्ता, याचिकाकर्ता, आवेदक, प्रतिवादी अथवा अन्य कारणों से हुए स्थगनों

कॉज लिस्ट में रिकॉर्ड दिखने, रजिस्ट्रार जनरल ने स्थायी आदेश जारी किया

पारित न्यायालय के निर्देशों की पालना में लागू की जा रही है।

इसके तहत अपीलकर्ता, याचिकाकर्ता, आवेदक, प्रतिवादी अथवा अन्य कारणों से हुए स्थगनों

हिस्ट्रीशीटर के अवैध कब्जों को तोड़ा

लूणकरणसर, (निस)। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर कालुनाथ के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को मुक्त कराया। आरोपी कालुनाथ के खिलाफ मारपीट, लूट और आर्म्स एक्ट सहित एक दर्जे से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से उस पर नजर रख रही थी।

एडिशनल एसपी ग्रामीण बनवारीलाल मीणा और सीओ

हिस्ट्रीशीटर ने पालिका की जमीन पर कई जगह अवैध कब्जे कर रखे हैं

लूणकरणसर रणवीर सिंह के सुपरविजन में सूचना मिली थी कि हिस्ट्रीशीटर कालुनाथ पुत्र मोहननाथ निवासी जोगिया बस्ती, लूणकरणसर ने

नगरपालिका की जमीन पर कई जगह अवैध कब्जे कर रखे हैं। हालांकि नॉट रीच श्रेणी वाले मामलों को स्थगन की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सभी न्यायिक शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एकमुश्त अध्यास के रूप में प्रत्येक प्रकरण में अब तक हुए स्थगनों की संख्या सांफटेयर में दर्ज करवाएं। साथ ही सूचीबद्ध किए जाने वाले हर मामले में स्थगन संबंधी विवरण अपडेट रखना अनिवार्य होगा।